न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2012 निगरानी — R. 3775-I/12

R-3775-I/12

जुबेदाबाई विधवा मुंशी द्वारा मुख्त्यार आम फारूक पटेल पिता हाजी मुंशी पटेल, नि. ग्राम पोलाई तह. टौंकखूर्द जि. देवास ———निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. मुलाजम हुसैन पिता सुभान, नि. ग्राम पोलाई तह. टौंकखूर्द जि. देवास।
2. म.प्र. शासन द्वारा पटवारी ग्राम पोलाई तह. टौकखूर्द जि. देवास ——————— अनावेदकगण

माननीय महोदय, 17.10.12

प्रकरण के तथ्य

यह कि, अनावेदक क्र. 1 ने तहसील न्यायालय टौकखूर्द के समक्ष एक आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 115, 116 म.प्र. भू राजस्व संहिता का प्रस्तुत करते हुए, पोलाईकलॉ में स्थित सर्वे नं. 107 एवं 774 को अपने खाते में से कम होकर के निगरानीकर्ता के नाम से भूमि, स्वामी, स्वत्व होना बताया और राजस्व अभिलेख में निगरानीकर्ता का नाम कम कर अनावेदक क्र. 1 का नाम भूमि, स्वामि, स्वत्व पर दर्ज किये जाने का निवेदन किया। जिसका जवाब निगरानीकर्ता की और से प्रस्तुत किया गया। तदूपरांत प्रकरण 29/06/2012 को निगरानीकर्ता की साक्ष्य हेतु प्रथमबार नियत हुआ और तारीख पेशी 13/07/2012 नियत हुई। प्रकरण में 13/07/2012 को रिस्पांडेंट की और से एक आवेदन पत्र प्रस्तुत हुआ और प्रकरण में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं ली जावे। ऐसा निवेदन तहसीलदार महोदय के समक्ष किया गया। जबकि आवेदक की साक्ष्य आदेश 18 नियम 4 के तहत् हो चूकी थी, उस पर निगरानीकर्ता को प्रतिपरीक्षण करने का भी अवसर नहीं दिया गया। इस पर से निगरानीकर्ता की और से विरोध किया गया और बहस श्रवण करना बताते हुवे, उक्त आवेदन पत्र के निराकरण हेतु दिनांक 09/08/2012 नियत की गई। किन्तु उक्त दिनांक को आदेश पारित नहीं हुआ। 12/09/2012 को विवादित आदेश पारित हुआ। जिससे असन्तुष्ट होकर के निम्नलिखित आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत हैं।

निगरानी के आधार

1. यह कि, माननीय अधिनस्थ न्यायालय का विवादित आदेश 12/09/2012 विधि विधान के विपरित होकर के निरस्त किये जाने योग्य हैं।

2. यह कि, माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर विचार ही नहीं किया कि, मूल आवेदन पत्र ही जो कि, संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया हैं, प्रचलन योग्य नहीं था, क्योकि उक्त भूमि निगरानीकर्ता के भूमि, स्वामि, स्वत्व एवं आधिपत्य की हैं। इसके संबंध में रिस्पांडेंट ने अपने आवेदन के पैरा 3 में यह लिखा हैं कि, वर्ष

सुरेश बाई | मूलगम इन्द्र

XXIX(a)-BR(H)-11

(25)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(28)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 3775/I/12 जिला - देवास

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.19	आवेदक की ओर से यह निगरानी अ.व.अधि.टोंक खुर्द के प्रकरण क्रमांक 13/अ-6/अ-07-08 में पारित आदेश दिनांक 12.9.12 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर देवास को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14.10.19 को कलेक्टर देवास के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	